राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(ब.घो.)(कमोन्नत)डीएलबी / 23 / 3636 दिनांकः 16 / 8 / 2023

अधिसूचना

बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य में नवीन जिला घोषित करने हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 5 अगस्त 2023 के क्रम में एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 329 सपठित धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभागीय अधिसूचना कमांक 3825 दिनांक 30.04.12 के अन्तर्गत जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय एवं अधिसूचना कमांक 2428 दिनांक 17 / 07 / 2023 के द्वारा निर्धारित मानको में शिथिलन, देते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नगर पालिका **अनुपगढ** (**जिला अनुपगढ**) को **तृतीय श्रेणी** नगर पालिका से **नगर परिषद में कमोन्नत** किया जाता है। यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(ब.घो.)(कमोन्नत)डीएलबी / 23 / 3637-3675 दिनांकः 16 / 8 / 2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. .निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री / मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, शासन सचिवालय राज. जयपुर को अतिरिक्त पद एवं व्ययभार स्वीकृति हेतु ।
04. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर ।
07. निदेशक, जनगणना विभाग, झालाना डूंगरी, राज. जयपुर।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त **बीकानेर/** एवं जिला कलेक्टर **अनुपगढ राजस्थान**।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
11. निदेशक / अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 10 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
12. वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय को भेजकर निवेदन है कि उक्त नगरीय निकाय में अतिरिक्त पद एवं व्ययभार हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही कराने का श्रम करावे।
13. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर ।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
15. आयुक्त / अधिशासी अधिकारी नगरीय निकाय **अनुपगढ जिला अनुपगढ** को भेजकर लेख है कि अविलम्ब अतिरिक्त पद एवं व्ययभार हेतु वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर ही प्रभावी / मान्य होगा । अतः वित्तीय सलाहकार निदेशालय को आवश्यक प्रस्ताव भिजवावें ताकि वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त की जा सकें ।
16. उप निदेशक (सांख्यिकी) निदेशालय को मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा बजट घोषणा की अनुपालना में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
17. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

d/shrimal ji/ order municipality